



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 14] नई दिल्ली, मार्च 27—अप्रैल 2, 2011, शनिवार/चैत्र 6—चैत्र 12, 1933
No. 14] NEW DELHI, MARCH 27—APRIL 2, 2011, SATURDAY/CHAITRA 6—CHAITRA 12, 1933

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
नई दिल्ली, 24 मार्च, 2011

का.आ. 857.—केंद्रीय सरकार एतद्वारा अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं. 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य, शिमला में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (के.अ.ब्यूरो) द्वारा अन्वेषण किए जा रहे मामलों में परीक्षण न्यायालयों में और विधि द्वारा स्थापित अपीलीय न्यायालयों में अथवा अभियोजन, अपील, पुनरीक्षण या मामलों से उद्भूत अन्य प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए श्री धर्म पाल चौहान, अधिवक्ता को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. 225/4/2010-ए वी डी-II]

वी. एम. रत्नम, उप सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES
AND PENSIONS
(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 24th March, 2011

S.O. 857.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal

1023 GI/2011

Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the Central Government hereby appoint Shri Dharam Pal Chauhan, Advocates of Special Public Prosecutor for conducting the prosecution of cases instituted by the Delhi Special Police Establishment (CBI) in the State of Himachal Pradesh at Shimla as entrusted to him by the Central Bureau of Investigation in the trial courts and appeals/revisions or other matter arising out of these cases in revisional or appellate courts established by law.

[No. 225/4/2010-AVD-II]

V. M. RATHNAM, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2011

का.आ. 858.—केंद्रीय सरकार एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1973 (1974 का अधिनियम सं. 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (सीबीआई) द्वारा संस्थापित किए गए मामले जिन्हें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा उन्हें सौंपा गया है, परीक्षण न्यायालयों में तथा अपील/पुनरीक्षण या इन मामलों के पुनरीक्षण या विधि द्वारा स्थापित अपीलीय न्यायालयों के मामलों में उद्भूत अन्य प्रक्रियाओं का

(2573)

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2011

का.आ. 866.— दिनांक 17-8-2006 को अधिसूचित मुख्य वैद्युत निरीक्षक तथा वैद्युत निरीक्षक की योग्यता, शक्ति एवं कार्य नियम, 2006 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 162 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उपरोक्त नियम में उल्लिखित योग्यता एवं शर्त के अधीन वैद्युत निरीक्षक के रूप में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली के निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्ति करती है।

| क्र.सं. | नाम/श्री | पदनाम | योग्यता | के पद पर नियुक्त |
|---------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|
| 1. | उपेन्द्र कुमार | उप निदेशक | बी.ई. (इलैक्ट्रिकल) | वैद्युत निरीक्षक |
| 2. | राम चंद्र | उप निदेशक | बी.ई. (इलैक्ट्रिकल) | वैद्युत निरीक्षक |
| 3. | एस. जी. टेन्पे* | अधीक्षण अभियंता | बी.ई. (इलैक्ट्रिकल) | वैद्युत निरीक्षक |

*श्री एस जी टेन्पे को श्री एस. डी. टकसांडे, निदेशक के स्थान पर वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।

उपर्युक्त अधिकारी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 में प्रदत्त प्रक्रिया के अनुसार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के भीतर चल रहे विद्युत कार्यों, विद्युत संस्थानों तथा विद्युत रोलिंग स्टॉक के संबंध में शक्तियों का प्रयोग तथा कार्यों का निर्वहन करेंगे।

वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को ऐसा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जिसे केन्द्र सरकार इस उद्देश्य हेतु आवश्यक समझे और यह प्रशिक्षण सरकार की संतुष्टि के अनुसार पूरा किया जाएगा।

[फा. सं. 42/3/2010-आर एंड आर]

अशोक लवासा, अपर सचिव

New Delhi, the 29th March, 2011

S.O. 866.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 162 of Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with Qualification, power and function of Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors Rules, 2006 notified on 17-8-2006, the Central Government hereby appoints following Officers of Central Electricity Authority, New Delhi as Electrical Inspector Subject to the qualification and Condition mentioned in above Rule.

| S/No | Name/Shri | Designation | Qualification | Appointed As |
|------|---------------|-----------------|---------------|----------------------|
| 1. | Upendra Kumar | Deputy Director | B.E.(Elect) | Electrical Inspector |
| 2. | Ram Chandra | Deputy Director | B.E.(Elect) | Electrical Inspector |
| 3. | S.G.Tenpe* | Sup. Engineer | B.E.(Elect) | Electrical Inspector |

*Shri S.G.Tenpe is being appointed as Electrical Inspector in place of Shri S.D.Taksande, Director.

The above mentioned official shall exercise the powers and perform function in respect of electrical works, electrical institutions and electrical rolling stock in operation within the jurisdiction of Central Electricity Authority, as per the procedure provided in Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010.

The person appointed as Electrical Inspector shall undergo such training as the Central Government may consider it necessary for the purpose and such training shall be completed to the satisfaction of the Government.

[F.No. 42/3/2010-R&R]

ASHOK LAVASA, Addl. Secy.

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2011

का.आ. 867.— दिनांक 17-8-2006 को अधिसूचित मुख्य वैद्युत निरीक्षक तथा वैद्युत निरीक्षक की योग्यता, शक्ति एवं कार्य नियम, 2006 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 162 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उपर्युक्त नियम में उल्लिखित योग्यता एवं शर्त के अधीन वैद्युत निरीक्षक के रूप में खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद के वैद्युत संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्ति करती है।

| क्र. सं. | अधिकारी का नाम/श्री | डीजीएसएस में पदनाम | के पद पर नियुक्ति |
|----------|---------------------|-------------------------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | धर्मेंद्र कुमार | उप महानिदेशक, खान सुरक्षा (वैद्युत) | मुख्य वैद्युत निरीक्षक |
| 2. | बी. के. पाणिग्रही | निदेशक, खान सुरक्षा (वैद्युत) | वैद्युत निरीक्षक |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-------------------|----------------------------------|------------------|
| 3. | बी. के. लामा | निदेशक, खान सुरक्षा (वैद्युत) | वैद्युत निरीक्षक |
| 4. | के. एम. घोष | निदेशक, खान सुरक्षा (वैद्युत) | वैद्युत निरीक्षक |
| 5. | एम. के. दास | निदेशक, खान सुरक्षा (वैद्युत) | वैद्युत निरीक्षक |
| 6. | मुकेश श्रीवास्तव | निदेशक, खान सुरक्षा (वैद्युत) | वैद्युत निरीक्षक |
| 7. | यू. एन. पांडेय | निदेशक, खान सुरक्षा (वैद्युत) | वैद्युत निरीक्षक |
| 8. | एस. के. ठाकुर | निदेशक, खान सुरक्षा (वैद्युत) | वैद्युत निरीक्षक |
| 9. | जी. एल. कांटा राव | निदेशक, खान सुरक्षा (वैद्युत) | वैद्युत निरीक्षक |
| 10. | बी. एस. निम | निदेशक, खान सुरक्षा (वैद्युत) | वैद्युत निरीक्षक |
| 11. | राधे श्याम | उप निदेशक, खान सुरक्षा (वैद्युत) | वैद्युत निरीक्षक |
| 12. | के.एस. योदव | उप निदेशक, खान सुरक्षा (वैद्युत) | वैद्युत निरीक्षक |
| 13. | एम. के. मालवीय | उप निदेशक, खान सुरक्षा (वैद्युत) | वैद्युत निरीक्षक |
| 14. | मधुकर सहाय | उप निदेशक, खान सुरक्षा (वैद्युत) | वैद्युत निरीक्षक |
| 15. | अजय सिंह | उप निदेशक, खान सुरक्षा (वैद्युत) | वैद्युत निरीक्षक |
| 16. | टी. श्रीनिवास | उप निदेशक, खान सुरक्षा (वैद्युत) | वैद्युत निरीक्षक |

उपर्युक्त अधिकारी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद के भीतर चल रहे विद्युत कार्यों, विद्युत संस्थानों तथा विद्युत रोलिंग स्टॉक के संबंध में शक्तियों का प्रयोग तथा कार्यों का निर्वहन करेंगे।

विद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को ऐसा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जिसे केन्द्र सरकार इस उद्देश्य हेतु आवश्यक समझे और यह प्रशिक्षण सरकार की संतुष्टि के अनुसार पूरा किया जाएगा।

[फा. सं. 42/3/2010-आर एंड आर]

अशोक लवासा, अपर सचिव

New Delhi, the 29th March, 2011

S.O. 867.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 162 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with Qualification, power and function of Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors Rules, 2006 notified on 17-8-2006, the Central Government hereby appoints following Officers of Electrical Cadre of Directorate General of Mines Safety, Dhanbad as Electrical Inspector Subject to the qualification and Condition mentioned in above Rule.

| S/N. | Name of the Officer/Shri | Designation in DGMS | To be appointed as |
|------|--------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 1. | Dharmendra Kumar | Dy. Director General of Mines Safety (Elect.) | Chief Electrical Inspector |
| 2. | B.K.Panigrahi | Director of Mines Safety (Elect.) | Electrical Inspector |
| 3. | B.K.Lama | -do- | -do- |
| 4. | K.M.Ghosh | -do- | -do- |
| 5. | M.K.Das | -do- | -do- |
| 6. | Mukesh Srivastava | -do- | -do- |
| 7. | U.N.Pandey | -do- | -do- |
| 8. | S.K.Thakur | -do- | -do- |
| 9. | G.L.Kanta Rao | -do- | -do- |
| 10. | B.S.Nim | -do- | -do- |
| 11. | Radhey Shyam | Dy. Director of Mines Safety (Elect.) | -do- |
| 12. | K.S.Yadav | -do- | -do- |
| 13. | M.K.Malviya | -do- | -do- |
| 14. | Madhukar Sahay | -do- | -do- |
| 15. | Ajay Singh | -do- | -do- |
| 16. | T. Srinivas | -do- | -do- |

The above mentioned official shall exercise the powers and perform function in respect of electrical works, electrical institutions and electrical rolling stock in operation within the area of Directorate General of Mines Safety, as per the procedure provided in Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010.

The person appointed as Electrical Inspector shall undergo such training as the Central Government may consider necessary for the purpose and such training shall be completed to the satisfaction of the Government.

[F. No. 42/3/2010-R&R]

ASHOK LAVASA, Addl. Secy.

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (ii)

Appearing on Page No. 3157

Dated 16-4-2011

श्रम और रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2011

का. आ. 1082.—केन्द्र सरकार, खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अधिकारियों को अगले आदेशों तक मुख्य खान निरीक्षक के अधीन खान निरीक्षक के पद पर नियुक्त करती है :

1. श्री वीर प्रताप
2. श्री सुप्रिय चक्रवर्ती
3. श्री एस. चन्द्रमौली
4. श्री टी.आर. कानन
5. श्री नीरज कुमार
6. श्री मुरलीधर बिदारी
7. श्री सैफुल्ला अंसारी
8. श्री विनोदानंद कालुंदिया
9. श्री मनीष चन्द्र जायसवाल
10. श्री मुरलीधर मिश्र

[सं. एस-29025/01/2008-आईएसएच-II]

सुभाष चन्द, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2011

S.O. 1082.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government hereby appoints the following officers as Inspector of Mines, Subordinate to the Chief Inspector of Mines, until further orders :

1. Shri Vir Pratáp
2. Shri Supriya Chakraborty
3. Shri S. Chandramouli
4. Shri T.R. Kanan
5. Shri Niraj Kumar
6. Shri Muralidhar Bidari
7. Shri Saifullah Ansari
8. Shri Vinodanand Kalundia
9. Shri Manish Chandra Jaiswal
10. Shri Murli Dhar Mishra

[No. S-29025/01/2008-ISH-II]

SUBHASH CHAND, Under Secy.